218

माननीय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /.2016 निगरानी

नि – 1251 – II – 16

कपूरी देवी पुत्री कुंजविहारी मिश्रा निवासी – भण्डरा (उ.प्र.) हाल निवास लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.

बनाम

ब्रजभूषण पुत्र स्व. श्री ठाकुर प्रसाद रिछारिया निवासीगण लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धरा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.04.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 207/अ/2015–16 से असंतुष्ट होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका/निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षित तथ्य :–

1. यहकि, अनावेदक ब्रजभूषण पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद रिछारियां द्वारा ग्राम लवकुशनगर की भूमि सर्वे न. 3676/2; 3592, 3668/2 मौजा लवकुशनगर की भूमि सूखा से प्रभावित खरीफ फसल क शासन द्वारा आर्थिक अनुदान राशी को प्राप्त करन हेतु आवेदक प्रस्तुत किया जिसमें भूमि पर स्वयं को कब्जंदार बताकर वास्तविक भूमि स्वामी की राशी को प्राप्त करने की मन्सा से अधिनस्थ न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया।
2. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई. पटवारी द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षो को अपने अपने दस्तावेजों के साथ आहूत किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1251-दो/2016 जिला छतरपुर कपूरी विरूद्ध ब्रजभूषण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 207/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.01.19
सदस्य